

फर्द अहकाम
 न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं
 कानाराम बनाम गिरधारी वगै०

2024/190

मुकदमा नम्बर :- 91/2024

वाद पत्र धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	02.09.2024	<p>वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 20.09.2024 को पेश हो।</p> <p>प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..... को पेश हो।</p>	
	20/9/24	<p>व. वादी अपनो सम्पन्न तलबाम पेश हुका। तलबी जारी हो। पत्रावली काउ तलबी दिनांक 08/11/24 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर, चौमूं (ग्रामीण)</p>	
	08/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी के पत्रावली के मत मस्य के पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। पत्रावली का पालोका किया। पत्रावली नोटिस के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कर देख. डाकिये दफ्तर हो।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	<p>Note Pro Pym 08/11/24</p>